अ0शा0 परिपत्र सं: डीजी- 22/2013

देवराज नागर
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश
1, तिलक मार्ग, लखनऊ

दिनांक: मई 25 2013

प्रिय महोदय,

मा0 सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिनियम, नियम तथा विधिक व्यवस्थाओं की जानकारी दी जाती है तो पुलिस महानिदेशक मुख्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में आप सभी को परिपत्र निर्गत कर निर्देशित किया जाता है कि इन सभी की जानकारी अपने अधीनस्थों को दें जिससे उनका विधिक ज्ञान अद्यावधिक रहे ।

2- मा0 उच्च न्यायालय के इस प्रकार के निर्णय/आदेश अभी वर्तमान में मेरे संज्ञान में आये हैं जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा विधिक प्राविधानों का सही ढंग से अनुपालन न करने के सम्बन्ध में अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है । इससे यह आभास होता है कि समय समय पर जो भी कानून बन रहे है तथा दिशा-निर्देश एवं विधिक व्यवस्थायें मा0 न्यायालयों द्वारा दी जा रही हैं उनकी जानकारी आपके द्वारा अपने अधीन्स्थों को नही दी जा रही है । अभी हाल ही में दिन-प्रतिदिन महिलाओं के साथ बढ़ती हुयी यौन हिंसा की घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुये भारत सरकार द्वारा Criminal Law Ammendment Act-2013 पारित किया गया है जिसमें भा0दं0वि0 की धारा-100 उपधारा 7, धारा-326 क, 326-ख, धारा-354 क, धारा-354 ख, धारा-354 ग, धारा-354 घ, धारा-370 उपधारा '1 से लेकर 7', धारा-370 क, धारा-375 क से 375 घ तक, धारा-376-1, धारा-376-2, धारा-376-क, धारा-376-ग, धारा-376-घ, धारा 166 की उपधारा 166 ए, धारा-166 की उपधारा 166 बी, एवं द0प्र0सं0 की धारा-154, धारा-161 तथा भा0सा0अ0 की धारा-25 उपधारा 53 क, धारा-25 उपधारा 144 क में संशोधन किये गये है । यह अधिनियम 3 फरवरी 2013 से प्रवृत्त हो चुका है । इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश इस मुख्यालय द्वारा सर्वसम्बन्धित को दिये जा चुके है परन्तु इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित न हो पाने के कारण दिनांक 28-5-2013 को अधोहस्ताक्षरी को मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति होने हेतु निर्देशित किया गया है ।

3- ऐसी स्थिति में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि जोन एवं परिक्षेत्र स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन करायें तथा उनमें अभियोजन विभाग के अधिकारियों को भी सम्मिलित करें जिससे प्रभावी विधिक प्राविधानों की जानकारी सभी पुलिसजनों को मिल सके तथा वे विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत कार्य करके समाज को न्याय दिलाने में अपनी सार्थक भूमिका निभा सकें । इसी प्रकार जनपदों में जब भी अपराध गोष्ठी आयोजित हो तो उसमें ऐसे विधिक प्रावधानों के सम्बन्ध में निश्चित रूप से अवगत कराया जाय और यदि कोई नया कानून आता है तो उसकी छाया प्रति करा कर सम्बन्धित थाना प्रभारियों को अवश्य प्रदान की जाय ।

4- किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा विधिक प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने पर वे इसके लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे तथा उनके विरुद्ध सुसंगत दण्डात्मक/ विभागीय कार्यवाही की जायेगी ।

भवदीय,

(देवराज नागर) 25-5-13

समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक,
उत्तर प्रदेश ।

समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक,
उत्तर प्रदेश ।

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद,
उत्तर प्रदेश ।